कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 9.66 करोड़ के निदर्शी मामले प्रस्तुत किये हैं जो परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये थे। हमने माल एवं यात्री वाहनों से कर एवं शास्ति के न/कम वसूली होना, सीटिंग क्षमता के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से वाहनों से देय कर की कम वसूली, अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण, परमिट के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण शास्ति का अनारोपण, परमिट के आवेदन एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न होना, जब्त वाहनों से न/कम वसूली होना और कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण, के कई मामले पाये।
कर संग्रह में अधिकता/ कमी	वर्ष 2012–13 में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 25.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन बजट अनुमान से यह 1.54 प्रतिशत कम रहा।
आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0)	प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति का विभाग में गठन किया गया था, जो आ0ले0प0शा0 के कार्यकलापों पर चर्चा के लिये आवधिक रूप से मिलती है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने चार मामलों में आ0ले0प0शा0 के दृष्टान्त पर ₹ 12.13 लाख की वसूली की।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)	हमने 2012–13 की अवधि में परिवहन विभाग की 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और कर अवनिर्धारण और दूसरी अनियमितताओं, जिनमें ₹ 151.56 करोड़ सन्निहित था, के 668 मामले पाये। विभाग ने कर अवनिर्धारण और दूसरी कमियों के ₹ 10.30 लाख के मामलों को स्वीकार किया और ₹ 10.10 लाख की वसूली की।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे तन्त्र की कमियां पता लगे और हमारे द्वारा पकड़ी गई प्रवृत्तियों को भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित किये गये वसूली न होने, कर के कम आरोपण, अर्थदण्ड आदि के विशेषतः उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकारा है, की वसूली के लिये भी त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

अध्याय–IV
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0 मो0या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्री कर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त(प0आ0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है।

4.2 प्राप्तियों का रुझान

माल एवं यात्री वाहनों पर कर की वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को सारणी क्रमांक 4.1 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत
2008–09	1,600.00	1,391.15	(-) 208.85	(-) 13.05	28,658.97	4.85
2009–10	1,574.89	1,674.55	(+) 99.66	6.33	33,877.60	4.94
2010–11	2,089.90	2,058.58	(-) 31.32	(-) 1.50	41,355.00	4.98
2011–12	2,329.95	2,380.67	(+) 50.72	2.18	52,613.43	4.52
2012–13	3,093.90	2,993.96	(-) 99.94	(-) 3.23	58,098.36	5.15

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमान वास्तविक है और राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में 25.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु यह बजट अनुमान से 3.23 प्रतिशत कम है।

4.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 53.83 करोड़ का राजस्व बकाया था। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के राजस्व बकाये की स्थिति सारणी क्रमांक 4.2 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाये का अन्तिम अवरोध
2008–09	71.74	1,380.02	1,391.15	60.61
2009–10	60.61	1,661.41	1,674.55	47.47
2010–11	47.47	2,040.78	2,058.58	29.67
2011–12	29.67	2,380.69	2,380.67	29.69
2012–13	29.69	3,018.10	2,993.96	53.83

स्रोतः वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

बकायों के अन्तिम अवशेष में वृद्धि हुई है। पाँच वर्ष से अधिक के पुराने बकाये और विभिन्न अवस्थायें जहाँ अवरोध बकाया राजस्व की वसूली नहीं हो पाई है, उसके बारे में बारम्बार अनुरोध के बाद भी विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।

4.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है।

सारणी क्रमांक 4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह के लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए संग्रह लागत की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009–10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010–11	2,058.58	78.13	3.80	3.07
2011–12	2,380.67	79.86	3.35	3.71
2012–13	2,993.96	95.45	3.19	2.96

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि संग्रह लागत पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक क्रमशः कम होती गई किन्तु संग्रह की लागत वर्ष 2012–13 में अखिल भारतीय औसत से अभी भी अधिक है।

4.5 आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहे हैं।

विभाग में प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता मे एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो समय–समय पर आ0ले0प0शा0 के कार्यकलापों पर चर्चा करती है। वर्ष 2012–13 में विभाग ने आ0ले0प0शा0 के दृष्टान्त पर चार प्रकरणों में ₹ 12.13 लाख की वसूली की।

आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और तीन लेखा परीक्षक नियुक्त हैं। विभाग द्वारा शाखा की स्वीकृत पदों की संख्या, लेखा परीक्षा योजना का विवरण जैसे लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षा हुई इकाइयों की संख्या, वर्ष के दौरान उठाई गई एवं समाधानित आपत्तियों की संख्या एवं उनमें निहित धनराशि की सूचना नहीं दी गई।

हम संस्तुति करते हैं कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाय।

4.6 लेखा परीक्षा का राजस्व प्रभाव

4.6.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

हमने वर्ष 2007–08 से 2011–12 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में यात्रीकर/अतिरिक्त कर का न/कम आरोपण किया जाना, मार्ग कर/माल कर का अवनिर्धारण और दूसरी अनियमितताओं के मामले जिनमें ₹ 121.51 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, प्रतिवेदित किये थे। इनमें से विभाग ने ₹ 83.50 करोड़ की आपत्तियां

स्वीकार की थी और 31 मार्च 2013 तक ₹ 12.76 करोड़ वसूल कर लिया था। विवरण सारणी क्रमांक 4.4 में अंकित है:

सारणी क्रमांक 4.4

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गई धनराशि 31.03.2013 तक
2007–08	82.02	73.22	8.80
2008–09	5.80	0	0
2009–10	15.80	8.16	2.61
2010–11	2.46	1.28	0.62
2011–12	15.43	0.84	0.73
योग	**121.51**	**83.50**	**12.76**

विगत पाँच वर्षों के दौरान वसूल की गयी धनराशि स्वीकृत मामलों की तुलना में शून्य या बहुत कम रही।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कम से कम उन आपत्तियों के विषय मे जो स्वीकार की गयी हैं, वसूली की स्थिति सुधारने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।

4.6.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,819 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 399.45 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग/शासन ने 459 मामलों में निहित ₹ 10.13 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की तथा 31 मार्च 2013 तक इन मामलों में निहित धनराशि वसूल कर ली थी। विवरण सारणी क्रमांक 4.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2007–08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008–09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
2009–10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85
2010–11	71	369	29.54	263	6.44	263	6.44
2011–12	96	648	130.66	4	0.10	04	0.10
योग	**371**	**1819**	**399.45**	**459**	**10.13**	**459**	**10.13**

अधिक मात्रा में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के लंबित रहने की दृष्टि से शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरो के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करे।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 72 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 151.56 करोड़ के

668 मामले प्रकाश में आये, जो सारणी क्रमांक 4.6 में दर्शायी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

सारणी क्रमांक 4.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/ कम आरोपण	126	72.87
2	मार्ग कर का अवनिर्धारण	49	0.82
3	माल कर का अनारोपण/ कम आरोपण	72	7.61
4	अन्य अनियमिततायें	421	70.26
	योग	**668**	**151.56**

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने हमारे चार मामलों जिसमें ₹ 10.30 लाख की धनराशि सन्निहित थी, आपत्तियां स्वीकार की और इनमें से अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं के मामलों से ₹ 10.10 लाख वसूल किये।

कुछ निदर्शी मामले जिसमें परिवहन विभाग में "**मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने**" का प्रस्तर सम्मिलित है, तथा ₹ 9.66 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

4.7 मोटर यान अधिनियम/विभागीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना

मोटरयान नियमावली, 1989 (मो0या0नियमावली) के नियम 86 से 90 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर चलने हेतु कोई वाहन एक निर्धारित प्रारूप में राष्ट्रीय परमिट हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी को आवेदन देगा। मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो0या0अधिनियम) की धारा 81 के अनुसार परमिट पाँच वर्ष के लिए वैध है। यद्यपि, मो0या0 नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का अधिकार पत्र एक वर्ष के लिये है।

राष्ट्रीय परमिट के नवीनीकरण का आवेदन इस परमिट की वैधता समाप्त होने के 15 दिन पहले देना होता है।

परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी प्राधिकार पत्र समाप्ति के 15 दिन के भीतर परमिट धारक को यह नोटिस निर्गत करेंगे कि वह यह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर परमिट निरस्त कर देगा।

4.7.1 मई 2012 और मार्च 2013 के दौरान हमने राज्य के सभी 19 स0प0क0[1] में नये राष्ट्रीय परमिट प्रणाली में प्रावधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में इससे सुसंगत अभिलेखों[2] की जाँच की। हमने देखा कि फरवरी 2010 और मार्च 2013 के मध्य 78,156 माल वाहन जिनको राज्य में राष्ट्रीय परमिट निर्गत किया गया था में से 2,939 वाहन[3] का राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का वार्षिक नवीनीकरण कराया जाना शेष था।

इस तथ्य के बावजूद कि सभी सूचनाएं जैसे अधिकार पत्र की वैधता समाप्त होने की तिथि, जमा कर और राष्ट्रीय परमिट आच्छादित वाहन के अन्य विवरण, वाहन

[1] आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी।

[2] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर, रसीद बुक और रोकड़ बही।

[3] 17 स0प0का0 में।

साफ्टवेयर[4] में उपलब्ध थे, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा चिन्हित नहीं किया गया। विभाग द्वारा परमिट धारक को नोटिस निर्गत कर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी जैसा कि परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश में वर्णित है।

हमने देखा कि केवल सहारनपुर[5] में स0प0अ0 द्वारा प0आ0 के फरवरी 2000 में दिये आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई और मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गई।

हमारे द्वारा इस बिन्दु को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया[6] (जनवरी 2014) कि :

- 842 वाहनों के परमिट निरस्त किये गये।
- 779 वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र ₹ 1.10 करोड़ समेकित फीस तथा नवीनीकरण फीस लेकर, नवीनीकृत किये गये।
- 1008 वाहनो के संबंध में मो0या0 अधिनियम की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

मो0या0क0 अधिनियम, 1988 की धारा 81(1) प्रावधानित करता है कि धारा 87 के अधीन निर्गत अस्थाई परमिट या धारा 88 की उप धारा–(8) के अधीन निर्गत विशेष परमिट से भिन्न परमिट पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। धारा–81(2) के अधीन परमिट, वैधता अवधि समाप्ति के 15 दिन से पूर्व आवेदन कर नवीनीकृत कराया जा सकता है। उ0प्र0मो0क0 नियमावली, 1998 के नियम 22 के अनुसार वाहन को प्रयोग से हटाने पर परमिट और अन्य दस्तावेज अभ्यर्पित करना होगा। यदि परमिट और अन्य दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किया जाता तो यह समझा जायेगा कि मोटर वाहन प्रयोग में है।

4.7.2 हमने परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों[7] से देखा (मई 2012) कि 55 बसों[8] एवं 111 मोटर टैक्सियों[9] के परमिट की वैधता जनवरी 2008 से मार्च 2012 के मध्य समाप्त हो गई थी। क्योंकि वाहन स्वामियों ने दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये, मोटर वाहन उ0प्र0मो0क0 नियमावली, 1998 के नियम 22 के अनुसार प्रयोग में समझे जायेंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि सभी सूचनायें जैसे कि परमिट वैधता की समाप्ति की तिथि, जमा कर और वाहनों के अन्य विवरण वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध थे, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा चिन्हित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को जून 2012 में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि परमिट का नवीनीकरण तभी किया जाता है जब इसके लिए परमिट धारक आवेदन करता है। इन प्रकरणें में कोई भी परमिट और आवेदन शुल्क नहीं वसूला गया क्योंकि परमिट धारक ने नवीनीकरण या निरस्तीकरण के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परमिट की वैधता समाप्त हो गयी थी और परमिट/दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे। इस प्रकार यह मोटर वाहन उ0प्र0मो0वा0 नियमावली के नियम 22 के अनुसार प्रयोग में समझे जाने थे और विभाग को राजकोष के हित में वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने में सक्रियता से कार्यवाही करनी चाहिए थी।

---

[4] वाहनों के विवरण जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, कर आदि के लिये निर्मित।

[5] 194 वाहन।

[6] स0प0का0 अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, बरेली, फैजाबाद और गोण्डा का उत्तर प्रतीक्षित है।

[7] परमिट रजिस्टर एवं सम्बन्धित फाइल।

[8] 3359 वाहनों में से ।

[9] 34789 वाहनों में से ।

राज्य सरकार मो0या0 अधिनियम/उ0प्र0मो0वा0 नियमावली अथवा फरवरी 2000 के विभागीय आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र विकसित करे जिससे कि राजस्व का क्षरण न हो।

4.8 निजी/कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहनों का वाणिज्यिक उपयोग

उ0प्र0 मो0 यान अधिनियम, 1997 की धारा 4(2) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्टूबर 2009 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार सन्निर्माण उपस्कर यान इक्विपमेन्ट कंस्ट्रकशन वेहिकल या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो वाणिज्यिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाये, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए देय कर, ₹ 500 प्रति त्रैमास अथवा ₹ 1800 प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय है।

हमने (जून 2012 और दिसम्बर 2012 के मध्य) चार स0प0का0[10] और तीन स0स0प0का0[11] के अभिलेखों[12] की जांच की और पाया कि :

4.8.1 फरवरी 2010 से जुलाई 2012 की अवधि के दौरान 10 वाहन[13] निजी वाहन के रूप में पंजीकृत थे और केवल एकबारीय कर जमा किया था। चूंकि इन सभी वाहनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था, इन वाहनों का निजी वाहन के रूप में पंजीकृत होना और एकबारीय कर का आरोपण किया जाना गलत था। विवरण सारणी क्रमांक 4.7 में दर्शित है :

सारणी क्रमांक 4.7

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹ 1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	एक बारीय जमा कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 आजमगढ़	04	8.64	5.23	02/2010 से 07/2012
2	स0प0का0 गाजियाबाद	04	8.50	5.11	07/2011 से 01/2012
3	स0स0प0का0 हरदोई	02	4.59	0.88	08/2011 से 12/2011
	योग	**10**	**21.73**	**11.22**	

पुनश्च, 14 वाहनों[14] में स्वामियों द्वारा एक से आठ त्रैमास का त्रैमासिक कर भी नहीं जमा किया गया था और अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही थी। इसके फलस्वरूप ₹ 3.06 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि सारणी क्रमांक 4.8 में दर्शाया गया है ।

सारणी क्रमांक 4.8

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	निजी रूप में पंजीकृत वाहनों की संख्या	₹1800 प्रति टन प्रति वर्ष की दर से आरोपणीय कर	जमा कर	देय कर	पंजीकरण की अवधि
1	स0प0का0 लखनऊ	14	3.06	—	3.06	7/2010 से 3/2012
	योग	**14**	**3.06**	**—**	**3.06**	

[10] आजमगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ ।
[11] हरदोई, महाराजगंज और मऊ।
[12] टैक्स पोस्टिंग रजिस्टर, पंजीयन रजिस्टर, कर रजिस्टर, अभियोजन पुस्तिका, अपराध एवं ज़ब्ती रजिस्टर।
[13] जे.सी.बी. मशीन(1), क्रेन(1), अर्थ मूविंग मशीन(4), उत्खनक वाहन (4)।
[14] क्रेन(13), कैश वैन(1)।

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) विभाग ने आजमगढ़, लखनऊ और हरदोई के मामले में हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और नोटिस निर्गत करने तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। गाजियाबाद[15] के मामले और हरदोई के एक वाहन (क्रेन) के विषय में विभाग ने बताया कि फर्म द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार, वाहनों का उपयोग गैर परिवहन/निजी वाहन के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त के विषय में हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये सभी वाहन व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि फर्मों के लिए पंजीकृत की गई थी और ये उत्खनक वाहन (एक्सकवेटर) तथा क्रेन थे।

कृषि कार्य से भिन्न वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर पर प्रत्येक मीट्रिक टन लदान रहित भार या उसके भाग पर ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1800 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम की धारा 192–अ के अनुसार जो कोई धारा–66 की उपधारा (1) के प्रावधानों के विपरीत अथवा उस उद्देश्य जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, उस पर प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2500 जिसे दिनांक 25 अगस्त 2010 से उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 1452/ 30–4–10–172/89 के द्वारा बढ़ाकर ₹ 4000 कर दिया गया है, से दण्डनीय है।

4.8.2 अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2012 के मध्य 86 मामलों में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उपखनिज (बालू और साधारण मिट्टी) परिवहन के वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों द्वारा इन ट्रैक्टरों को निर्गत एम0एम0–11 प्रपत्रों से हुई थी। अभियोजन पंजिका से यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त इन वाहनों से अन्तरीय कर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही इन पर अधिनियम के उल्लंघन के लिए कोई आवश्यक दण्ड लगाया गया। इस प्रकार कार्यवाही न करने से कर और अर्थदण्ड के ₹ 4.31 लाख की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि विवरण सारणी क्रमांक 4.9 में दिया गया है–

सारणी क्रमांक 4.9

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन का लदान रहित भार (टन में)	वाहन संचालन की अवधि	वाहनों की संख्या	देय कर की धनराशि ₹ 500 प्रति त्रैमास प्रति टन लदान रहित भार का	देय शास्ति ₹ 4000 प्रति वाहन की दर से	कर और शास्ति की कुल धनराशि
1.	स0प0का0 कानपुर नगर	02	04/2011 से 07/2012	07	0.07	0.28	0.35
		03		02	0.03	0.08	0.11
2.	स0स0प0अ0 महाराजगंज	02	03/2011 से 06/2011	37	0.37	1.48	1.85
3.	स0स0प0अ0 मऊ	02	08/2009 से 09/2010	40	0.40	1.60	2.00
	योग			**86**	**0.87**	**3.44**	**4.31**

हमारे द्वारा मामले को विभाग एवं शासन को (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) प्रतिवेदित करने पर विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत नहीं हुआ और कहा (नवम्बर 2013) कि प्रवर्तन

[15] गाजियाबाद में चार उत्खनक वाहन।

शाखा द्वारा वाहनों की जांच में कोई भी ट्रैक्टर उपखनिज ढोते हुए नहीं पाया गया। विभाग का उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि विभाग ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे इन वाहनों पर कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की जबकि इस बात के ठोस प्रमाण हमारे द्वारा खनन विभाग के अभिलेखों से उपलब्ध कराये गये है। यहाँ तक कि विभाग द्वारा जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों से मिलान भी नहीं किया गया।

4.9 टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत (28 अक्टूबर 2009 को संशोधित) उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक उसके सम्बन्धित अधिनियम की धारा–4 की उपधारा(2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब और मैक्सी कैब पर (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रतिसीट प्रतितिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रतिसीट प्रतितिमाही थी। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 और 24 मई 2010 के द्वारा 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार के टाटा मैजिक वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए कुल आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

हमने मई 2012 और सितम्बर 2012 के मध्य दो संभागीय परिवहन कार्यालय (स0प0का0) [16] और चार सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (स0स0प0का0) [17] के अभिलेखों [18] का परीक्षण किया और देखा कि अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार वाले 723 टाटा मैजिक वाहनों (बेसिक मॉडल) के सम्बन्ध में, परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 एवं 24 मई 2010 का उल्लंघन करते हुए कर, कुल आठ सीटों के बजाय सात सीटों पर निर्धारित करके वसूला गया। वाहन संबंधी विवरण विक्रय पत्र में अंकित रहता है जिसको पंजीकरण के समय स0स0प0का0/स0प0का0 में प्रस्तुत करना हेाता है। इसको संबंधित स0स0प0अ0/स0प0अ0 चिन्हित नही कर पाये जिसके फलस्वरूप ₹ 16.75 लाख का कर कम वसूला गया जैसा कि सारणी क्रमांक 4.10 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.10

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहन की संख्या (लदान रहित भार 1000 किग्रा0)	अवधि	आरोपणीय कर	जमा कर	कम आरोपित कर
1	स0प0का0 बरेली	194	अप्रैल 2011 से मार्च 2012	18.31	15.69	2.62
2	स0प0का0 झाँसी	90	अगस्त 2011 से जुलाई 2012	16.63	14.25	2.38
3	स0स0प0का0 जालौन	166	जुलाई 2011 से जून 2012	30.68	26.29	4.39
4	स0स0प0का0 जे0पी0 नगर	64	अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012	12.15	10.41	1.74
5	स0स0प0का0 महाराजगंज	120	अप्रैल 2011 से जून 2012	26.58	22.78	3.80
6	स0स0प0का0 प्रतापगढ़	89	अगस्त 2011 से अगस्त 2012	12.72	10.90	1.82
	योग	**723**		**117.07**	**100.32**	**16.75**

16 स0प0का0 बरेली और झाँसी।

17 स0स0प0का0 जालौन, जे0पी0नगर, महाराजगंज और प्रतापगढ।

18 यात्री कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों का डाटाबेस।

हमारे द्वारा मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2012 और अक्टूबर 2012) किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2013) हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और 544 वाहनो से ₹ 9.58 लाख वसूल किया और बताया कि शेष वाहनों से वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। झाँसी के प्रकरण में विभाग ने बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा उद्धृत 67 प्रकरणों में कोई अन्तर नहीं पाया गया और एक सूची जिसमे लदान रहित भार तथा अन्य विवरण थे उत्तर के साथ संलग्न की। हमने सूची का मिलान किया और पाया कि इन विवादित 67 वाहनों की पंजीयन संख्या वह नहीं थी जिसे हमने लेखा परीक्षा में इंगित किया था। इसलिए हम झाँसी के मामले में विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है।

4.10 वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम (के0मो0या0), 1988 के अधीन धारा–56 एवं केन्द्रीय मोटरयान (के0मो0या0) नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके पश्चात तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 तथा ₹ 100 स्वस्थता जाँच की फीस का भुगतान करने पर जारी किया जाता है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित वाहन, मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा–192 के अन्तर्गत ₹ 2500 प्रति अपराध की दर से शमनीय है जिसे अधिसूचना संख्या1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा बढ़ाकर ₹ 4000 कर दिया गया है।

हमने दस स0प0का0 [19] और 15 स0स0प0का0 [20] के अभिलेखों [21] का परीक्षण (अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य) किया और देखा कि अप्रैल 2010 और फरवरी 2013 के मध्य 8,792 वाहन [22] बिना वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित थे और केवल देय कर वसूला गया था। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र है। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनों पर ₹ 51.22 लाख का स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 3.52 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था क्योंकि ये बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित हो रहे थे।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2012 और मई 2013), विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के वाहनो के संचालन के प्रमाण के अभाव में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। पुनश्च, विभाग ने बताया कि स्वस्थता फीस के रूप में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वह नवीनीकरण के समय वसूल कर ली जायेगी।

---

[19] स0प0का0 इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, मेरठ, मिर्जापुर, सहारनपुर और वाराणसी

[20] स0स0प0का0 बदायूँ, बहराइच, बिजनौर, बुलन्दशहर, देवरिया, फतेहपुर, जे0पी0 नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, महोबा, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सोनभद्र और उन्नाव।

[21] कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां, वाहनों का डाटाबेस, रसीद बुक और रोकड़ बही।

[22] ₹ 3.18 लाख वाहनों में से।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योकि ये वाहन संबंधित अवधि जिसमें वाहन बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के संचालित थे, कर जमा कर रहे थे। इस प्रकार हमारे द्वारा इंगित तथ्य अनुत्तरित रहा कि कर अदायगी के समय स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना विभाग ने सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा विभाग ने ₹ 19.05 लाख स्वस्थता शुल्क एवं ₹ 14.16 लाख शास्ति[23] वसूल किया और शेष प्रकरणों के हमारे द्वारा इंगित करने के बाद स्वस्थता शुल्क की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया। विभाग का उत्तर उसके द्वारा संलग्न की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है जहाँ विभाग ने स्वस्थता फीस के रूप में ₹ 19.05 लाख और शास्ति के रूप में ₹ 14.16 लाख वसूल किया और शेष प्रकरणों में स्वस्थता फीस की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया।

4.11 स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम–125 नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 प्रावधानित करता है।

हमने एक स0प0का0[24] और चार स0स0प0का0[25] के अभिलेखों[26] की जाँच की (मई 2012 और जून 2012 के मध्य) और पाया कि मई 2011 से मई 2012 की अवधि में 255 स्कूल वाहन परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप ₹ 9.56 लाख की परमिट फीस की वसूली नहीं हुई जैसा कि सारणी क्रमांक 4.11 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.11

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	प्रतिवाहन आरोपणीय परमिट फीस (₹)	सन्निहित राजस्व की धनराशि
1	स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर	31	3750	1.16
2	स0प0का0 बरेली	29	3750	1.09
3	स0स0प0का0 जे0पी0नगर	30	3750	1.12
4	स0स0प0का0 महोबा	09	3750	0.34
5	स0स0प0का0 लखीमपुर खीरी	156	3750	5.85
	योग	**255**		**9.56**

हमारे द्वारा मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित करने पर (जून 2012 और जुलाई 2012), विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2013) और 119 वाहनों से ₹ 4.46 लाख वसूल किये और कहा कि शेष वाहनों के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

[23] स0स0प0का0 उन्नाव ₹ 1.44 लाख और स0प0का0 वाराणसी ₹ 12.72 लाख।
[24] स0प0का0 बरेली।
[25] स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर, जे0पी0नगर, लखीमपुर खीरी और महोबा।
[26] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर और वाहनों का डाटाबेस।

4.12 दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होने का प्रभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (2009 में यथा संशोधित) की धारा–8(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) कही जायेगी। धारा–4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा–6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों [27] से हमने देखा (मई 2012) कि अप्रैल 2011 और मार्च 2012 की अवधि के मध्य विभाग द्वारा माल और यात्री वाहनों से कर और अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 786.74 करोड़ वसूल किया गया। इस धनराशि का दो प्रतिशत ₹ 15.73 करोड़ उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा इसे निधि में जमा नहीं कराया गया क्योंकि निधि की स्थापना अभी होनी है। अग्रेतर, हमने देखा कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों की दुघर्टना में 1039 मामलों में यात्रियों या इन यात्रियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 61.90 लाख का भुगतान बजट के मुख्य शीर्ष ''2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण'' से किया गया। निधि की स्थापना न होने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य निष्प्रभावी रहा और क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के राजस्व बजट से करना पड़ा।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2012)। उत्तर में विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति में है। वसूला गया कर और अतिरिक्त कर शासन के कोषागार में जमा किया जा चुका है अतः शासन राजस्व से वंचित नहीं था। मुख्य शीर्ष ''2235'' से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया अतः कोई भी लाभार्थी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं रहा। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि विभाग कर एवं अतिरिक्त कर को, बजाय इसके दो प्रतिशत को उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0 में जमा करने के, पूर्णतया मुख्य शीर्ष ''0041'' में जमा करके बढ़ी हुई राजस्व आय दिखा रहा है। साथ–साथ निधि की स्थापना न किये जाने से अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो गया।

[27] राजस्व प्राप्तियों का मासिक ब्यौरा।

4.13 अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम) की धारा–113, भार की सीमा और प्रयोग की, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करता है। धारा–113(3) (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पंजीयन प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट सकल यान से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलवायेगा या चलने देगा।

मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा–194 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक के किसी मोटरयान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अतिरिक्त प्रतिटन अधिक भार के लिये एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। इसके साथ–साथ अधिक भार उतरवाने हेतु देय प्रभार का दायी भी होगा।

विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा परिवहन किये जाने वाले उपखनिजों के भार* की अधिकतम सीमा का निर्धारण, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत पंजीयन पत्र में वाहनों का लदान भार निम्न रूप से निर्धारित किया गया है।

(भार टन में)

क्रम सं0	उप खनिज	दो पहिया ट्रैक्टर	चार पहिया ट्रैक्टर	छः पहिया ट्रक	दस पहिया ट्रक
1	साधारण बालू	3.00	5.25	13	19
2	मोरम	3.00	5.25	13	19
3	साधारण मिट्टी	3.00	5.25	13	19
4	बोल्डर/गिट्टी/स्टोन ग्रिट	3.00	5.25	13	19

*अधिकतम अनुमन्य लदान भार= सकल यान भार (स0या0भा0)–लदान रहित भार (ल0र0भा0)

हमने अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य तीन स0प0का0[28] और 20 स0स0प0का0[29] के अभिलेखों[30] और संबंधित जिला खान कार्यालयों द्वारा उप खनिजों[31] को परिवहन करने हेतु निर्गत एम0एम0–11 प्रपत्र की जाँच की और देखा कि फरवरी 2009 से जनवरी 2013 के दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा 3,706 मामलों में उपखनिज बालू, ग्रिट और साधारण मिट्टी का परिवहन किया गया था। इन सभी मामलों में वाहनो के प्रमाण–पत्र में दी गई अनुमन्य भार से अधिक भार[32] का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत एम0एम0–11 प्रपत्र[33] से प्रमाणित था। अतः ये सभी वाहन मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने संबंधित स0प0का0/स0स0प0का0 की अभियोजन पुस्तिका, अपराध या जब्ती रजिस्टर की जाँच के बाद पाया कि ये वाहन ओवरलोडेड पाये जाने तथा अधिक भार को उतरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक ढोने के कारण दण्डित करने की कोई कार्यवाही नहीं की, अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ

---

[28] स0प0का0 बांदा, गोरखपुर और सहारनपुर।

[29] स0स0प0का0 अम्बेडकरनगर, औरैया, बदाँयू, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, फरूखाबाद, जे0पी0 नगर, काशीरामनगर, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, सन्तरविदास नगर, सीतापुर और उन्नाव।

[30] आरोप पुस्तिका, अपराध और ज़ब्ती रजिस्टर

[31] बालू, स्टोन ग्रिट और साधारण मिट्टी।

[32] आयतन का भार में परिवर्तनः बालू/मोरम 1मी0^3= 2 टन ; साधारण मिट्टी 1मी0^3= 1.70 टन।

[33] खनन पट्टा धारक या खनन परमिट या सम्भावित अनुज्ञप्ति द्वारा निर्गत पास।

समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति अरोपणीय थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट–XV में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे विभाग/शासन को प्रतिवेदित (मई 2012 और मई 2013 मे मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि प्रवर्तन दलों द्वारा वाहनों की जांच में कोई भी वाहन सड़क पर संचालित नहीं पाये गये अतः शास्ति आरोपण मानने योग्य नहीं है। केवल दो कार्यालयों[34] में परिवहन अधिकारियों ने उन वाहनों से जो हमारी आपत्ति में दर्शायी गई है, ₹ 2.20 लाख की अभी तक वसूली की है और अन्य दो कार्यालयों[35] ने दोषियों को नोटिस निर्गत किया है।

विभाग ने स्वयं अपने प्रवर्तन दल की असफलता जैसा कि हमने इंगित किया था स्वीकारा है। जिले में अधिक भार लदे वाहनों के श्रेणीवार संचालन की सूचना के ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी विभाग का प्रवर्तन दल इन संचालित हो रहे अधिक भार लदे वाहनों को नहीं पकड़ा और उन पर शास्ति का आरोपण नहीं किया।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग इसे जिला खान कार्यालयों से सत्यापन करने का तन्त्र विकसित करे और मो0या0 अधिनियम के उल्लंघन के कारण इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करे।

4.14 परमिट के नियम और शर्तों के उल्लंघन के कारण अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अनुसार मोटर कैब से भिन्न ठेका पर चलने वाले वाहन स्वामियों द्वारा यात्रियों की सूची और वाहन के लाग बुक का त्रैमासिक सारांश, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये परमिट की शर्तों और नियम में है, जमा करना होता है। मो0या0 अधिनियम की धारा–192 ए, परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति परिभाषित करती है। दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 द्वारा सरकार ने परमिट के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन को एक अपराध माना है जिसको ₹ 4,000 शास्ति आरोपित कर प्रशमित किया जा सकता है।

हमने अभिलेखों[36] से देखा (मई 2012) कि अवधि 2011–12 के दौरान 2,448 परमिट धारक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण को वांछित अभिलेखों[37] को प्रस्तुत करने में असफल रहे। परमिट धारकों द्वारा वांछित अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण विभाग ने इनपर ₹ 97.92 लाख की शास्ति का आरोपण और वसूली नही की जैसा कि सारणी क्रमांक 4.12 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.12

(₹ लाख में)

क्रम सं0	परमिट का प्रकार	सीटिंग क्षमता	परमिटों की संख्या	₹ 4,000 प्रति परमिट दर से शास्ति
1	सम्पूर्ण भारत बस परमिट	43–56	25	1.00
2	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश बस परमिट	43–56	376	15.04
3	सम्पूर्ण भारत मिनी बस परमिट	13–42	888	35.52
4	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मिनी बस परमिट	13–42	675	27.00
5	सम्पूर्ण भारत मैक्सी कैब परमिट	8–12	355	14.20
6	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मैक्सी कैब परमिट	8–12	129	5.16
	योग		**2,448**	**97.92**

[34] स0स0प0का0, गोरखपुर और स0स0प0का0, कुशीनगर।
[35] स0स0प0का0, सीतापुर और स0स0प0का0, उन्नाव।
[36] परमिट रजिस्टर और वहनों की व्यक्तिगत पत्रावलियां।
[37] प्रत्येक ट्रिप के लिए यात्रियों की सूची और त्रैमासिक लाग बुक।

हमारे द्वारा बिन्दु को विभाग तथा शासन को जून 2012 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि लाग बुक और यात्रियों की सूची को प्रस्तुत न करने से शास्ति का आरोपण नहीं होता क्योंकि यह परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मो0यान अधिनियम की धारा 192–ए स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के परमिट की शर्तो के उल्लंघन पर शास्ति का आरोपण होना है एवं उ0प्र0मो0या0 नियमावली, 1998 के नियम 70 के अधीन परमिट की अतिरिक्त शर्तों में उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना इंगित है।

4.15 जब्त वाहनों से न/कम वसूली किया जाना

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा–22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा जब्त किये गये वाहन देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान के दायी होंगे तथा इन्हे अवमुक्त करायेंगे। यदि वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे वाहनों को जब्त किये जाने की तिथि से 45 दिनों के बाद नीलाम कर दिया जायेगा तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

हमने छः स0स0प0का0/स0प0का0 के अभिलेखों[38] की जाँच में पाया (अगस्त 2012 और दिसम्बर 2012 के मध्य) कि फरवरी 2006 से अक्टूबर 2012 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनों को जब्त किया गया था जिनके विरूद्ध देय ₹ 44.23 लाख की धनराशि वसूली हेतु अवशेष थी। इन वाहनों के स्वामियों ने जब्त होने के 45 दिन के अन्दर देयों का भुगतान नहीं किया। जब्त की तिथि से 22 से 80 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित कार्यालयों[39] ने इन वाहनों पर अधिनियम के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जिससे इन वाहनों की नीलामी होकर देयों की वसूली हो पाये। 73 वाहनों का विवरण सारिणी क्रमांक 4.13 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 4.13

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	जब्ती की अवधि	वसूली योग्य कर/अतिरिक्त कर की धनराशि
1	स0स0प0का0 बिजनौर	16	11/2009 से 05/2012	2.66
2	स0स0प0का0 चन्दौली	24	02/2006 से 07/2011	3.61
3	स0स0प0का0 हमीरपुर	05	06/2007 से 10/2010	25.26
4	स0प0का0 कानपुर नगर	11	01/2011 से 07/2012	1.06
5	स0स0प0का0 कुशीनगर	04	07/2006 से 10/2012	6.34
6	स0स0प0का0 सोनभद्र	13	11/2008 से 11/2011	5.30
	योग	**73**		**44.23**

इस प्रकार स0प0अ0/स0स0प0अ0 द्वारा कोई कार्यवाही न करने के फलस्वरूप जब्त वाहनों से ₹ 44.23 लाख के देयों की वसूली नहीं हो पायी।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को फरवरी 2013 में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि कार्यवाही की जा रही है और अभी तक ₹ 2.02 लाख की वसूली हो चुकी है।

---

[38] जब्ती रजिस्टर और सम्बन्धित पत्रावलियां।

[39] स0प0का0 कानपुर नगर, स0स0प0का0 बिजनौर, चन्दौली, हमीरपुर, कुशीनगर और सोनभद्र।

4.16 बकाये की वसूली हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण क्रियाविधि का अभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च, कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी निहित रहेंगे, वाहन स्वामियों या संचालकों को निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र जारी करेगा। यदि देयकों का भुगतान वाहन के ज़ब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो धारा–22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को ज़ब्त एवं रोक कर, इनसे देयों की वसूली नीलामी द्वारा करे।

हमने तीन स0प0का0[40] और चार स0स0प0का0[41] के अभिलेखों[42] की जाँच की (नवम्बर 2011 और मार्च 2013 के मध्य) और पाया कि 251 मामलों में जिनके लिए जनवरी 2010 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे, ₹ 2.13 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। हमने देखा कि ये वसूली प्रमाण पत्र राजस्व की देय तिथि के सात महीने से 92 महीने के बाद निर्गत किये गये थे और इन अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी। पत्रावलियों में राजस्व अधिकारियों से इन बकाये वसूली प्रमाण पत्रों के विरूद्ध वसूली हेतु नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण दिखाई नहीं पड़ा। जिले के कराधान अधिकारी ने उन वाहन स्वामियों के विरूद्ध जो अपने देयों के प्रति दोषी थे, धारा–22 के अन्तर्गत वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। हमने पाया कि नियमों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कोई समयबद्ध प्रावधान नहीं था और विभाग के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्गमन पर अनुश्रवण हो। आन्तरिक नियंत्रण और निगरानी क्रियाविधि के अभाव के फलस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी जैसा कि सारणी क्रमांक 4.14 में दर्शाया गया है :

सारणी क्रमांक 4.14

(₹ लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या	वसूली प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में लगा समय	वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि
1	स0प0का0 इलाहाबाद	147	8 से 92 महीने	56.21
2	स0प0का0 आजमगढ़	24	7 से 18 महीने	15.77
3	स0स0प0का0 बहराइच	5	21 से 69 महीने	1.82
4	स0स0प0का0 मथुरा	13	अंकित नहीं	59.99
5	स0प0का0 सहारनपुर	4	17 से 45 महीने	1.45
6	स0स0प0का0 सन्तकबीर नगर	30	8 से 58 महीने	10.49
7	स0स0प0का0 सन्त रविदास नगर	28	19 से 79 महीने	67.55
	योग	**251**		**213.28**

हमने इसे विभाग तथा शासन को इंगित किया (अगस्त 2012 और मार्च 2013 के मध्य) उत्तर में विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2013) और कहा कि ₹ 52.04 लाख की वसूली हो चुकी है और शेष प्रकरणों में वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

[40] स0प0का0 इलाहाबाद, आजमगढ़ और सहारनपुर।
[41] स0स0प0का0 बहराइच, मथुरा, सन्तकबीर नगर और सन्त रविदास नगर।
[42] कर रजिस्टर, बकाया रजिस्टर, वसूली प्रमाण पत्र निर्गमन रजिस्टर और वाहन पत्रावलियां।

4.17 तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 के नियम 22 (2009 में संशोधित) में व्यवस्था है कि जब परिवहन वाहन स्वामी को अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष मे, तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यपर्ण स्वीकार कर सकेगा।

यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन स0प0अ0 द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यपर्ण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का दायी होगा। पुनश्च, उपनियम (4) में प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा चाहे कराधान अधिकारी से समर्पित प्रमाण पत्र वापस किये गये हों अथवा नहीं।

हमने एक स0प0का0[43] और दस स0स0प0का0[44] के अभिलेखों[45] की जाँच की (अप्रैल 2012 और नवम्बर 2012 के मध्य) और देखा कि 179 वाहन मई 2011 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि से समर्पित थे। इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण के विषय में सम्बन्धित स0प0का0 द्वारा विस्तार स्वीकार नहीं किया गया था, कराधान अधिकारियों[46] ने देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। जिसके फलस्वरूप ₹ 87.55 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी।

हमारे द्वारा इसे विभाग और शासन को इंगित करने के पश्चात (जून 2012 से दिसम्बर 2012 के मध्य), विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) तथा ₹ 3.89 लाख की वसूली कर ली। शेष प्रकरणों के लिए वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

---

[43] स0प0का0 बरेली।

[44] स0स0प0का0 औरेया, बिजनौर, फरूखाबाद, कन्नौज, कुशीनगर, महोबा, मथुरा, मऊ, मुज़फ्फरनगर और सोनभद्र।

[45] समर्पण रजिस्टर वाहन पत्रावलियां, यात्री कर रजिस्टर और माल कर रजिस्टर।

[46] कराधान अधिकारीः उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत क्रमशः अपनी क्षेत्र या उपक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत स0प0का0 या स0स0प0का0 को कराधान अधिकारी परिभाषित किया गया है।